"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2011—ज्येष्ठ 13, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2011

क्रमांक एफ 1-2/2011/1-सूअप्र.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 7-16/2005/1/6 दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 के अनुक्रम में राज्य शासन, एतद्द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 (4) के तहत छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग की "सी शाखा" को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2011

क्रमांक एफ 1-4/2008/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) राजपत्रित सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) (राजपत्रित) सेवा, भर्ती नियम-2010 कहलाएंगे.

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.—** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "सेवा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है शासन ;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है नियम 11 के अंतर्गत भर्ती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा ·

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न अनुसूची ;

(छ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) राजपत्रित सेवा ;

(ज) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य ;

(झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(ट) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.—**छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभार डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.—** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को धारण कर रहे हों ;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों ; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि .**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार होगा.

परन्तु, सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) गुणागुण तथा साक्षात्कार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, मूल रूप से धारण करते हों.

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से, अवधारित की जायेगी.

(4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, सेवा में भर्ती संबंधी उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो इस संबंध में जारी किए गए आदेश द्वारा निर्धारित किए जाएं.

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति .**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक के द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**—परीक्षा/चयन में स्पर्धा के लिये पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना होंगी अर्थात् :—

(एक) **आयु** :—

(क) अभ्यर्थी ने विज्ञापन जारी होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्षों तक की छूट दी जाएगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी/स्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किसी भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 मास की निरंतर कालावधि तक रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक 03 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाए :

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी कर दी गई हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित कर दिया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन, मुक्त किये गये हों;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबन्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो.

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवामुक्त किया गया है;

(4) अवकाश रिक्तियों पर 06 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य कर लेने के पश्चात सेवामुक्त किये गये अधिकारी;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में 2 (दो) वर्ष तक की छूट दी जाएगी;

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनर के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जाएगी;

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 (अड़तीस) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के अनायुक्त (नान कमीशण्ड) अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 (आठ) वर्षों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी स्थिति में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए;

टीप :— उपर्युक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन-पत्र भेजने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाए तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी. विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी.

(ट) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार किसी एक या एक से अधिक आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ दिए जाने के उपरान्त भी, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु, आयु सीमा 45 (पैंतालीस) वर्षों से अधिक नहीं होगी;

(ठ) आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं :—** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई हैं..

(तीन) **फीस.—** अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.—** अभ्यर्थी की ओर से, अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा उसे परीक्षा में प्रवेश के लिये निरर्हित माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**— परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**—

(1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे अन्तरालों से आयोजित की जाएगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय-समय पर, अवधारित करे.

(2) आयोग द्वारा परीक्षा का संचालन ऐसे आदेशों के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि शासन, समय-समय पर आयोग के परामर्श से, जारी करें.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रहेंगे.

(4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे.

(5) नि:शक्तजनों की भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की जाएगी.

(6) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम-12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(7) उपर्युक्त नियम के अतिरिक्त इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों, जो महिला/विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिक हैं, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम-12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(8) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग द्वारा प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुये सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप नियम-7 के अधीन यथा-स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—

(1) आयोग अपने द्वारा निश्चित किये गये मानकों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनाई गई एक सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं हैं, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, शासन को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उस क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के बाद जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे. परन्तु इस नियम के अधीन समिति के गठन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे.

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतया एक वर्ष से अधिक की न हो.

(3) पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार दिया जाएगा.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) एवं शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों के अनुसार होगी.

14. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.—**

(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को, अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उस पद/सेवा पर, या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्ष की सेवा, जो अनुसूची-चार के कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट है पूरी कर ली हो तथा जो विचारण के क्षेत्र में आते हों.

स्पष्टीकरण :— पदोन्नति के लिए अभ्यर्थिता की संगणना हेतु प्रक्रिया.—वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को, अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(2) जहां चयन "वरिष्ठता सह उपयुक्तता" (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर या जब पदोन्नति अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर, वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिए कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा. केवल उतनी ही संख्या में अभ्यर्थियों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जाएगा, जो विद्यमान रिक्त पदों तथा वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी.

(3) उप-नियम (2) के अनुसार विद्यमान तथा प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम प्रत्येक प्रवर्ग से अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में विचार करने के प्रयोजन के लिए चयन सूची में सम्मिलित होंगे.

(4) शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी.

(5) छ.ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान पदोन्नति के लिए लागू होंगे.

15. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.—**

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त उल्लिखित नियम 13 एवं 14 में निर्धारित शर्तों को पूरी करते हों, तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे. यह सूची चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा-निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. इसके अतिरिक्त इसके लिए उक्त अवधि के दौरान अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एक आरक्षित सूची तैयार की जाएगी.

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छ. ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी.

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी.

(4) यदि चयन पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाए कि राज्य अधीनस्थ सिविल सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना है तो समिति चयन, छानबीन या पुनरीक्षण के दौरान प्रस्तावित अवक्रमण के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगी, उसके पश्चात् समिति अवक्रमण के संबंध में लिखित में कारण अभिलिखित करेगी.

16. **आयोग से परामर्श.—**

(1) विभागीय पदोन्नति समिति जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की गई हो, की सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि, संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श करने की अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग के साथ पृथक से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा.

(2) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची शासन द्वारा निम्नलिखित के साथ आयोग को भेजी जाएगी :—

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख.

(दो) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के ऐसे सभी सदस्यों के अभिलेख, जिनका सूची में की गई सिफारिशों के अनुसार अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो.

(तीन) अनुसूची-4 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण हेतु समिति द्वारा लेखबद्ध किए गए कारण.

(चार) समिति की सिफारिशों पर शासन के विचार.

(3) यदि आयोग के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित कोई सदस्य पदोन्नति समिति में उपस्थित रहे हों और यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप-नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी.

17. **चयन सूची.—**

(1) आयोग शासन से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और, यदि इसमें कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, तो उसे अनुमोदित करेगा.

(2) यदि आयोग शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा शासन उस पर यदि कोई मत प्रकट करे, तो उस पर ध्यान देते हुए, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा.

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची सेवा के सदस्यों की अनुसूची-चार के कॉलम (3) में दर्शाए गए पदों से, अनुसूची-चार के कॉलम (5) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यत: तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि, नियम 15 के उप-नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किया जाए, किन्तु इसकी वैधता, इसके तैयार करने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग, उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम से ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आए हों:

परन्तु जहां प्रशासकीय अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है, अथवा जो चयन सूची में आगामी क्रम में नहीं है, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि रिक्तियां तीन माह से अधिक समय के लिए संभाव्य नहीं है.

(2) साधारणतया उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख

के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो.

(3) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो पदोन्नत नहीं किया जाएगा यदि उसकी विभागीय जांच चल रही हो, या उसके विरुद्ध अभियोजन संस्थित हों, जब तक कि जांच या अभियोजन यथा स्थिति पूरा न हो जाए.

19. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्षों की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

20. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत होता है, तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा.

21. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे उचित एवं साम्यपूर्ण प्रतीत हो सीमित या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

22. **निरसन और व्यावृत्ति.**—

(क) इन नियमों के तत्स्थानी और इनके ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

(ख) इन नियमों में कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) के लिए उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों पर प्रभाव नहीं डालेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पि. रमेष कुमार, प्रमुख सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

(वर्गीकरण, वेतनमान और पदों की संख्या)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संचालक	1	ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) (राजपत्रित) सेवा प्रथम श्रेणी	केडर वेतनमान (यदि पद अखिल भारतीय संवर्ग के अधिकारी द्वारा धारित हो)	संचालक ग्रामोद्योग, रेशम तथा हाथकरघा प्रभाग का होगा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	अपर संचालक	1	ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) (राजपत्रित) सेवा प्रथम श्रेणी	37400-67000 ग्रेड पे-8700	
3.	संयुक्त संचालक	2	—,,—	15600-39100 ग्रेड पे-7600	
4.	उप संचालक	5	—,,—	15600-39100 ग्रेड पे-6600	
5.	मुख्य लेखाधिकारी	1	—,,—	15600-39100 ग्रेड पे-6600	
6.	सहायक संचालक	16	ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) (राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड पे-5400	

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

स. क्र.	विभाग/सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
				सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ग्रामोद्योग विभाग, ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) छत्तीसगढ़ (राजपत्रित) सेवा प्रथम श्रेणी	संचालक	01	-	-	-	यह पद अखिल भारतीय सेवा केडर से प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा.
2.	—,,—	अपर संचालक	01	-	100%	-	यह पद रेशम प्रभाग में पदस्थ संयुक्त संचालक की पदोन्नति से भरा जाएगा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	ग्रामोद्योग विभाग, ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) छत्तीसगढ़ (राजपत्रित) सेवा प्रथम श्रेणी	संयुक्त संचालक	02	-	100%	-	यह पद रेशम प्रभाग में पदस्थ उप संचालक की पदोन्नति से भरा जाएगा.
4.	—,,—	उप संचालक	05	-	100%	-	यह पद रेशम प्रभाग में पदस्थ सहायक संचालक की पदोन्नति से भरा जाएगा.
5.	—,,—	मुख्य लेखाधिकारी	01	-	-	100%	यह पद संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रति-नियुक्ति से भरा जाएगा.
6.	ग्रामोद्योग विभाग, ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) छत्तीसगढ़ (राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	16	35%	65%	-	यह पद रेशम प्रभाग में पदस्थ फील्ड ऑफिसर की पदोन्नति से भरा जाएगा.

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

(सीधी भर्ती के लिए आयु तथा अर्हता)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्रामोद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) (राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	22 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणीशास्त्र या वनस्पति शास्त्र या कृषि शास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि.	

टीप :— छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा समय-समय पर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार शिथिलनीय होगी.

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	विभागीय पदोन्नति के लिए अनुभव	उस पद का का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) छ. ग.	संयुक्त संचालक	पांच वर्ष	अपर संचालक	1. लोक सेवा आयोग अथवा उसके द्वारा नामांकित. —अध्यक्ष 2. सचिव, ग्रामोद्योग —सदस्य 3. संचालक ग्रामोद्योग — सदस्य सचिव
2.		उप संचालक	पांच वर्ष	संयुक्त संचालक	तदैव
3.		सहायक संचालक	पांच वर्ष	उप संचालक	तदैव
4.		फील्ड आफीसर	पांच वर्ष	सहायक संचालक	तदैव

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2011

क्रमांक एफ 1-4/2008/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4/2008/(6) 52 दिनांक 05-04-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पि. रमेष कुमार, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 5th April 2011

No. F 1-4/2008/(6) 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, relating to the Chhattisgarh Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector), Gazetted Service, namely :—

RULES

1. **Short Title & Commencement :—**
   (1) These rules may be called the Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) Chhattisgarh, (Gazetted) Service, Recruitment Rule-2010.

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government;

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(c) "Examination" means a competitive examination for recruitment conducted under rule 11;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(g) "Service" means the Directorare of Rural Industries (Sericulture Sector) Chhattisgarh, (Gazetted) Service;

(h) "State" means State of Chhattisgarh;

(i) "Scheduled Caste" means the Scheduled Castes, as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India;

(j) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this state under Article 342 of the Constitution of India;

(k) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F 8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time.

3. **Scope and Application.**— Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.**— The Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules, are holding the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**— The Classification of the Service, number of posts included in the Service and pay scale attached thereto shall be as per the provisions mentioned in Schedule-I :

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**—

(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely :-

(a) By Direct recruitment through competitive examination/selection, by merit and interview;

(b) By promotion of members of the service;

(c) By transfer of the persons, who hold in a substantive capacity such posts in such service, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (b) or clause(c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined, on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so required, the Government may, after consultation with the Commission, shall adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf prescribe.

(5) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 and direction issued by General Administration Department from time to time shall be apply.

7. **Appointment in service.—** All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the method of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.—** In order to be eligible to compete at the examinations/ selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) **Age -**

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and not have attained the age as specified in column (5), of the said Schedule, on the first day of January next following the date of issued of the advertisement;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (five) years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-Creamylayer) ;

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 (ten) years as per Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the condition specified below :-

(i) A candidate who is a permanent or temprorary Government Servant, should not be more than 38 (thirty eight) years of age;

(ii) A candidate holding a post temporary and applying for another post should not be more than 38 (thirty eight) years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project Implementation committee;

(iii) A candidate who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary/permanent services previously rendered by him upto a maximum limit of 7 (seven) years even if it represents more than one spell :

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation.- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reductions in establishment not more than 3 (three years) prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him :

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation.- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 (three years) before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service :—

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on—

(a) Completion of short term engagement ;

(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

(4) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(5) Ex-servicemen invalidated out of service;

(6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(7) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 (two) years in respect of the green card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive scheme as per Chhattisgarh Inter Caste Marriage Promotional Scheme under untouchability eradication Rule, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 (five) years in respect of Sahid Rajeev Pandey Award, Gundadhur Samman, Maharaja Praveer Chandra Bhanjdev Samman holder candidates and National Youth Award holder young candidates ;

(i) The upper age shall be relaxable upto 38 (thirty eight) years of age in respect of candidates, who are the employees of Chhattisgarh State Corporation/Boards ;

(j) The upper age shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Service rendered so by them subject to the limit of 8 (eight) years, but in no case their age should exceed 38 (thirty eight) years.

Note:— The candidate who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule-8 (d) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after the examination/selection. They will, however, continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In other

case these limits shall not be relaxed. The Departmental candidates must obtain the previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/interview.

(k) After providing relaxation in the age limit on the basis of any one or more of the above of any candidates, for entering in Government Service, the age limit of 45 (forty five) years shall not exceed ;

(l) In respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government from time to time shall also be applicable.

(2) **Educational Qualifications.—** The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) **Fees.—** The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualification.—** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him to admission in the examination.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.—** The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be interview.

11. **Direct recruitment by competitive examination.—**

(1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government from time to time may determine in consultation with the Commission.

(2) The examination shall be conducted by the commission in accordance with such orders as may be issued by the Government in consultation with the Commission from time to time.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994).

(4) Out of available vacancies, 30% posts shall also be reserved for women candidates in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

(5) The recruitment of handicapped persons shall be made in accordance with the directions issued by General Administration Department from time to time.

(6) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamylayer) shall be considered for appointment in the order in which their names appears in the list referred to in Rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(7) Besides the above rule at the time of filling of vacancies, so reserved candidates who are members of the women/handicapped and ex-military man shall be considered for appointment in the order in which their names appear. In the list referred to in Rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamylayer) by the commission to be suitable for appointment to the service with regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamylayer) as the case may be under sub-rule (7).

12. List of Candidates recommended by the Committee.—

(1) The Commission shall forward to the Government, a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the commission may determine and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of the administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of service) Rules, 1961, Candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to the appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiries, as may be considered necessary, that the candidates is suitable in all respect for appointment to the service.

13. Appointment by Promotion. —

(1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making preliminary selection of eligible candidates for promotion. But the provisions of Section 8 of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) will be followed to constitute the committee under this rule.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules, 2003 and as per model roaster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

14. Conditions regarding eligibility for promotion/transfer. —

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year on the post/service or other post or posts, Government has declared as their equivalent as specified in column (3) of Schedule-IV has completed such number of year of service in the post specified in column (5) of the Schedule-IV and are within the zone of consideration.

Explanation.— Procedure for calculation of candidature for promotion on 1st day of January of the year which Departmental Promotion Committee/Screening Committee meeting is held, the calculation of qualified period of service will be considered from the calendar year when the civil servant comes in the feeder cadre/part of service/scale of post and not from the date of coming to the feeder cadre/part of service/scale of post.

(2) There will be no provision of zone of consideration for all categories in selection through "seniority-cum-fitness" basis or when promotion is done on the basis of seniority, barring un-suitable candidate. Only such number of candidates whould be considered as per seniority as may sufficient to feel of the existing vacant posts and anticipated vacancies to fall during the year due to retirement.

(3) To fill of the existing and anticipated vacancies as per rule (2), the names of two civil servants or 25% of the number of civil servants included in selection list whichever is more has to be included in seelction list for the purpose of consideration of sufficient number of candidates from each category.

(4) Promotion will be done as per the prescribed reservation Roaster by the Government.

(5) Provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 will be applicable for promotion.

15. Preparation of the list of Suitable Officers.—

(1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in Rule 13 and 14 mentioned above and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the selection list. In addition to this a reserve list shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review are revision, it is proposed to supersede any member of the State sub-ordinate Civil Service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession during selection, scrutiny or revision, then the committee shall state the reason in written regarding supersession.

16. Consultation with the Commission.—

(1) The recommendation of the Departmental promotion Committee presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necesary.

(2) The list prepared in accoedance with rule 15 shall then be forwarded to Commission by the Government along with :—

(i) the records of all persons included in the list ;

(ii) the records of all such members of the service specified in column (2) of Schedule-IV, who are proposed to be superseded by the recommendation made in the list.

(iii) Reasons recorded by the committee for the proposed suppression of any member of the service specified in column (2) of Schedule-IV.

(iv) Views of Government on the recommendations of committee.

(3) If the Chairman of the commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required.

17. Select list.—

(1) The Commission shall consider the list prepared by the committee along with other documents received from the Government and unless it considers any change necessary, approves the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any change in the list received from the Government, the commission shall inform the Government of the change proposed and after taking into account the comments, if any, of the Government, may approve the list finally with such modifications, if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Commission shall be the select list for Promotion of the members of the service from the posts shown in column (3) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (5) of the Schedule-IV.

(4) The select list ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of Government and the commission, may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the Service from the select list.—**

(1) Appointments of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appears in the select list :

Provided that, where the administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list or who is not next in order in the select list, may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposed appointment there occures any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

(3) A person, whose name is included in the select list, shall not be promoted, if he is facing a departmental enquiry or prosecution is about to be instituted against him, until he has been completely exonerated in that enquiry or prosecution as the case may be.

19. **Probation.**— Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation.**— If any question arises relating to the Interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision, thereon shall be final.

21. **Relaxation.**— Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner, as may appear to it to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner, less favorable to him than that provided in these rules.

22. **Repeal and Saving.—**

(1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamylayer) in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. RAMESH KUMAR, Principal Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule 5)

(Classification, Scale of Pay & No. of Post)

S. No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classification	Scale of pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Director	1	Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) (Gazetted) Service Class-I	Cadre Pay (if post held by an officer of all India cadre)	Director Rural Industries shall be for Sericulture and Handloom sector
2.	Additional Director	1	—do—	37400-67000 Grade pay-8700	
3.	Joint Director	2	—do—	15600-39100 Grade pay-7600	
4.	Deputy Director	5	—do—	15600-39100 Grade pay-6600	
5.	Chief Accounts Officer	1	—do—	15600-39100 Grade pay-6600	
6.	Assistant Director	10	Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) (Gazetted) Service Class-II	15600-39100 Grade pay-5400	

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

Method of Recruitment

S. No.	Name of Department/ Service	Name of the posts included in the service	Total Number of posts	Percentage of the Number of post to be filled in			Remarks
				By Direct recruit-ment	By Promotion of the substantive members of the service	By transfer persons from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Department of Rural Industries Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) Chhattisgarh (Gazetted) Service Class-I	Director	01	-	-	-	This post shall be filled by Deputation from all India Services Cadre

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Department of Rural Industries Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) Chhattisgarh (Gazetted) Service Class-I	Additional Director	01	-	100%	-	This post shall be filled by Promotion of Joint Director, who is posted in Sericulture Sector.
3.	—do—	Joint Director	02	-	100%	-	This post shall be filled by Promotion of Deputy Director, who is posted in Sericulture Sector.
4.	—do—	Deputy Director	05	-	100%	-	This post shall be filled by Promotion of Assistant Director, who is posted in Sericulture Sector.
5.	—do—	Cheif Accounts Officer	01	-	-	100%	This post shall be filled by deputation from Directorate of Treasury and Accounts.
6.	Department of Rural Industries Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) Chhattisgarh (Gazetted) Service Class-II	Assistant Director	16	35%	65%	-	This post shall be filled by Promotion of Field Officer, who is posted to Sericulture Sector.

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

(Age and Qualification for direct recruitment)

S. No. (1)	Name of Department (2)	Name of the posts included in the Service (3)	Minimum age limit (4)	Maximum age limit (5)	Educational qualification prescribed (6)	Remarks (7)
1.	Department of Rural Industries Chhattisgarh Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) (Gazetted) Service Class-II	Assistant Director	22 years	35 years	Minimum second division in post Graduation in Zoology or Botany or Agriculture from a recognized University	-

Note— The Upper age limit shall be relaxable for local candidate of Chhattisgarh State as per direction issued by General Administration Department of the Government from time to time.

SCHEDULE-IV
(See Rule 14)

S. No. (1)	Name of Department (2)	Name of post from which promotion is to be made (3)	Experience for Departmental Promotion (4)	Name of post to which promotion is to be made (5)	Name of members of the Departmenal Promotion Committee (6)
1.	Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector) Chhattisgarh	Joint Director	5 years	Additional Director	1. Public Service Commission or his nominee. — Chairman 2. Secretary, Rural Industries. — Member 3. Director Rural Industries. — Member Secretary
2.		Deputy Director	5 years	Joint Director	—do—
3.		Assistant Director	5 years	Deputy Director	—do—
4.		Feild Officer	5 years	Assistant Director	—do—

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 20 मई 2011

रा.प्र.क्र. 04-अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	सेवईकछार प. ह. नं. 31	6.656	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, परियोजना संभाग, राजनांदगांव.	विकास नगर योजना हेतु

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. 22/अ-82/10-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी.	मल्हार	0.56	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ/स) संभाग क्र. 1, बिलासपुर.	हाईस्कूल भवन का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./10/अ-82/वर्ष 10-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रय़ोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सेजबहार प. ह. नं. 119	509/1	13.055	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण संभाग क्रमांक 2, रायपुर.	सामान्य आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु भू-अर्जन.
		योग		13.055		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 5 मई 2011

क्रमांक/632/06 अ/82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-दुधली, प. ह. नं. 22/31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1145/2	0.10
	1150/2	0.02
योग	02	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मालीघोरी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

क्रमांक/22/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बोडसरा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	783/2	0.05
योग		0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्रीडीह सकरी बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 मई 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./18/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रावाभाठा, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.436 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	124/2	0.108
	124/23, 124/39	0.200
	165/1	0.122
	124/25	0.162
	124/90	0.178
	136/14	0.431
	138/3	0.202
	366/1, 366/2, 366/3	0.405
	376	0.425
	377	0.352
	379/1	0.056
	379/2, 380/2	0.162
	381/1	0.202
	381/2	0.121
	382	0.041
	387/1	0.446
	390/2	0.243
	387/4	0.849
	328/21	0.304
	124/24	0.187
	390/4	0.081
	136/18	0.134
	379/5	0.025
योग		5.436

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-मेटल पार्क पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आयुक्त, उद्योग संचालनालय, छ.ग. रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th May 2011

No. 344/Confdl./2011/II-2-2/2002.—The following District Judge (Selection Grade), as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby appointed on the post of District Judge (Super time Scale) of Rs. 22850-500-24850 (Revised Rs. 70290-1540-76450) from the date mentioned in Column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of appointment on the post of District Judge (Super Time Scale) (3)
1.	Shri Dinesh Kumar Tiwari, Principal Judge, Family Court, Durg.	09-05-2011
2.	Shri Ashok Kumar Panda, District & Sessions Judge, Durg.	09-05-2011

Bilaspur, the 10th May 2011

No. 346/Confdl./2011/II-1-1/2011.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/01/2010/US.II dated 06th May, 2011 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, (1) Hon'ble Shri Justice Ghulam Minhajuddin and (2) Hon'ble Shri Justice Radhe Shyam Sharma have assumed charge of the office of Additional Judge of High Court of Chhattisgarh, Bilaspur in the forenoon of May 10, 2011.

Bilaspur, the 11th May 2011

No. 349/Confdl./2011/II-2-90/2001 (Pt.III).—Shri R.C.S. Samant, Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is appointed as Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur with immediate effect. He is also assigned the charge of Selection & Appointment Cell in the Establishment of the High Court with immediate effect.

बिलासपुर, दिनांक 12 मई 2011

क्रमांक 2823/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 5396/तीन-6-1/2000 दिनांक 17 नवम्बर 2006 को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेल्वे एक्ट, 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेलभूमि के उस भाग जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले अपराधों के जांच एवं विचारण के लिये छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3403/21-ब/छ.ग./2001 दिनांक 04 जुलाई 2001